मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 1-41/2012/20-1 भोपाल, दिनांक 13/8/12

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
5. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय :- संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं 2 के रिक्त पदों के नियोजन के लिए पदों का विषयवार चिन्हांकन करने के संबंध में।

संदर्भ :- विभाग का आदेश क्रमांक एफ 01-01/2012/20-1 दिनांक 27.03.2012

--00--

राज्य शासन द्वारा अपने संदर्भित आदेश दिनांक 27.03.2012 द्वारा संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1 एवं 2 के रिक्त पदों की पूर्ति विषयवार किये जाने का प्रावधान है। शासन स्तर से संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-1, 2 एवं 3 के रिक्त पदों की संख्या शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। इसके पूर्व यह आवश्यक है कि प्रदेश में शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल, शासकीय हाईस्कूल एवं शासकीय माध्यमिक शालाओं में विषयवार रिक्त पदों का आकलन किया जाए। दिनांक 01.04.2011 की स्थिति में रिक्त पद एवं इसके उपरांत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए नवीन पदों की स्वीकृति जारी की गई है। इसी प्रकार शासकीय हाईस्कूल के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए नवीन पदों की स्वीकृति जारी की गई है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत प्रदेश के सभी शासकीय माध्यमिक शाला हेतु भी नवीन पद आर.टी.ई. मापदण्ड अनुसार स्वीकृत किये गये है।

विषयवार रिक्त पदों का चिन्हाकन निर्धारित संलग्न प्रपत्रों में जिला स्तर पर निम्नलिखित अनुसार किया जाना है :-

1. **शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए विषयवार पदों का चिन्हाकन**

(1) स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के लिए रिक्त पदों की चिन्हाकन निर्धारित प्रपत्र-1 में की जाना है।

(2) प्रपत्र–1 में विषयों का उल्लेख किया गया है। इन विषयों में ही रिक्त पदों का आकलन किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विषय सम्मिलित नहीं किये जाए।

(3) जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के अंतर्गत रिक्त विषयवार पदों का चिन्हाकन पृथक–पृथक किया जाए। किसी जिले में एक से अधिक नगरीय निकाय होने की स्थिति होगी ऐसी स्थिति में नगरीय निकायवार रिक्त पदों का आकलन किया जाए एवं नगरीय निकायों के योग को प्रपत्र–1 के निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किया जाए।

2. शासकीय हाईस्कूल के लिए विषयवार पदों का चिन्हाकन

(1) स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत शासकीय हाईस्कूलों के लिए रिक्त पदों की चिन्हाकन निर्धारित प्रपत्र–2 में पृथक–पृथक किया जाना है।

(2) प्रपत्र–2 में विषयों का उल्लेख किया गया है। इन विषयों में ही रिक्त पदों का आकलन किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विषय सम्मिलित नहीं किये जाए।

(3) जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के अंतर्गत रिक्त विषयवार पदों का चिन्हाकन पृथक–पृथक किया जाए। किसी जिले में एक से अधिक नगरीय निकाय होने की स्थिति होगी ऐसी स्थिति में नगरीय निकायवार रिक्त पदों का आकलन किया जाए एवं नगरीय निकायों के योग को प्रपत्र–2 के निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किया जाए।

3. शासकीय माध्यमिक शालाओं के लिए विषयवार पदों का चिन्हाकन

(1) प्रदेश के समस्त शासकीय माध्यमिक शालाओं के लिए विषयवार रिक्त पदों की चिन्हाकन निर्धारित प्रपत्र–3 में किया जाना है। माध्यमिक शालाओं के लिए विषयों का निर्धारण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 27–3/2012/20–2 दिनांक 16.01.2012 द्वारा किया गया है। इसी के अनुक्रम में पदों का आकलन एवं चिन्हाकन किया जाना है।

(2) प्रपत्र–3 में विषयों का उल्लेख किया गया है। इन विषयों में ही रिक्त पदों का आकलन किया जाना है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विषय सम्मिलित नहीं किये जाए।

(3) जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों के अंतर्गत रिक्त विषयवार पदों का चिन्हाकन पृथक–पृथक किया जाए। किसी जिले में एक से अधिक नगरीय

निकाय होने की स्थिति होगी ऐसी स्थिति में नगरीय निकायवार रिक्त पदों का आकलन किया जाए एवं नगरीय निकायों के योग को प्रपत्र–3 के निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किया जाए।

रिक्त पदों के चिन्हाकन की समस्त कार्यवाही जिले में अनिवार्य रूप दिनांक 16.08.2012 तक संपन्न कर ली जाए एवं दिनांक 17.08.2012 को जिले के सहायक संचालक के माध्यम से संचालनालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न : प्रपत्र–1, 2 एवं 3

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 13/8/12

पृष्ठां. क्रमांक एफ 1-41/2012/20-1
प्रतिलिपि:–

1. निज सचिव, मा0 स्कूल शिक्षा मंत्री, म0प्र0 शासन।
2. निज सचिव, मा0 राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा, म0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
4. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, म0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
7. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग, म0प्र0 शासन।
8. आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल, म0प्र0।
9. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0।
10. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल, म0प्र0।
11. आयुक्त, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग, म0प्र0।

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्रपत्र–

हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–1 की विषयवार गणना

क्र.	निकाय का नाम	विषयवार रिक्त पदों की संख्या															
		हिन्दी	अंग्रेजी	उर्दू	संस्कृत	गणित	भौतिक विज्ञान	जीव विज्ञान	रसायन विज्ञान	गृह विज्ञान	वाणिज्य	इतिहास	भूगोल	राजनीति शास्त्र	अर्थशास्त्र	कृषि	कुल
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	जिला पंचायत का नाम																
	नगरीय निकाय का नाम																
	नगरीय निकाय का योग																
कुल योग																	

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला – ....

प्रपत्र–2

हाईस्कूल के लिए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 की विषयवार गणना

जिला का नाम	निकाय का नाम	विषयवार रिक्त पदों की संख्या								
		हिन्दी	अंग्रेजी	संस्कृत	उर्दू	गणित	विज्ञान	सामाजिक विज्ञान	कुल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	जिला पंचायत का नाम									
	नगरीय निकाय का नाम									
	नगरीय निकाय का योग									
	नगरीय निकाय का योग									
कुल योग										

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला – ....

Parate- 2008/Rikt pado ki ganana2011-12/Parptra-2

माध्यमिक शाला के लिए संविदा शाला शिक्षक श्रेणी–2 की विषयवार गणना

जिला का नाम	निकाय का नाम	विषयवार रिक्त पदों की संख्या							
		गणित एवं विज्ञान (गणित विषय सहित विज्ञान)	भाषा (अंग्रेजी)	सामाजिक विज्ञान	संस्कृत	विज्ञान (जीव विज्ञान)	~~[illegible]~~ सामाजिक विज्ञान	कुल	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	जिला पंचायत का नाम								
	नगरीय निकाय का नाम								
	नगरीय निकाय का योग								
	नगरीय निकाय का योग								
कुल योग									

हस्ताक्षर
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला – ....